न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी— संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या— 05/2024

1. हुसना पुत्री शानमोहम्मद पत्नी अश्क अली जाति अराई साकिन ढाणी अराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—अपीलांट

बनाम

1. मन्जूरअली पुत्र अब्दूल शकूर जाति अराई साकिन ढाणी अराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

— रेस्पोडेन्टस—

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

उपस्थित:— श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलांट।

श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या—01

निर्णय दिनांक:— 13/12/2024

अपीलांट हुसना पुत्री शानमोहम्मद पत्नी अश्क अली जाति अराई साकिन ढाणी अराईयान तहसील नोहर द्वारा विरूद्व इन्तकाल नम्बर 729 दिनांक 12.06.2019 बअदालत तहसीलदार राजस्व नोहर नियम विरूद्व होने की वजह से खारिज करवाने बाबत अपील प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है—

अपीलांट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 मुस्लिम है तथा मुस्लिम विधि को मानते चले आ रही है मुस्लिम विधि में 1/3 हिस्सा ज्यादा वसीयत नही की जा सकती है तथा ना ही नजदीकी वारिसान के वसीयत की जा सकती है तथा वसीयतकर्ता अब्दुल मजीद पुत्र शानमोहम्मद जाति अराई मुसलमान निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर के चक 28 एन.टी.आर. तहसील नोहर की 16.0280 हैक्टेयर भूमि में से 253 1/3 हिस्सा कृषि भूमि की वसीयत मुस्लिम प्रावधान के खिलाफ करवाई गई है तथा अब्दुल मजीद कुंवारा व मंदबुद्धि का व्यक्ति था तथा उसे सोचने समझने की शक्ति नहीं थी उसका पागल घोषित करने की कार्यवाही सिविल कोर्ट में चल रही थी, उसी दौरान अब्दुल मजीद का देहान्त हो गया तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 मन्जूरअली व उसके पिता ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.01.23 16:12:49 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अब्दुल शकूर ने वसीयतकर्ता की अक्षमता का फायदा उठाकर वसीयत मुस्लिम विधि के प्रावधान के खिलाफ जाते करवाये है, जिसकी मुस्लिम कानून में कोई अहमियत नहीं है तथा उक्त नामान्तरण कार्यवाही का अपीलांट व उसके अन्य बहनों का कोई सूचना व नोटिस नहीं दिया गया था तथा वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने की कार्यवाही में कोई कानूनी प्रक्रिया नही अपनाई गई है तथा ना ही इस बात की जांच की गई है, कि उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में इन्तकाल तस्दीक व दर्ज दिनांक 12.06.2019 इन्तकाल संख्या 729 की पूरी कार्यवाही के समय वादग्रस्त भूमि पर स्थगन आदेश जारी था तथा उक्त भूमि बाबत संभागीय आयुक्त बीकानेर में अपील जेरकार थी तथा उसमें स्थगन आदेश प्रभावी था, फिर भी मातहत अदालत ने विधिप विरूद्ध तरीके से गलत तैयार की गई वसीयत के आधार पर नामान्तरण नम्बर 729 दिनांक 12.06.2019 दर्ज व तस्दीक करने की कार्यवाही से अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होती है तथा उसके खातेदारी हकूक का हनन होता है, जिससे अपीलांट इन्तकाल नम्बर 729 दिनांक 12.06.2019 बअदालत मातहत को अपास्त करवाने हेतु यह अपील निम्नलिखित आधार पर प्रस्तुत करती है–

1. नामान्तरण संख्या 729 दिनांक 12.06.2019 बअदालत मातहत बखिलाफ कानुन नियम व वाक्यात व रूएदाद मिसल है तथा नियम विरूद्ध है तथा विधि की भंयकर अवहेलना में पारित की गई है, जो काबिल मन्सुखी है।

2. मातहत अदालत ने वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने की कार्यवाही में कोई कानूनी प्रक्रिया नही अपनाई गई तथा कतई मनमाना स्वैच्छाचारी व नियम विरूद्ध इन्तकाल नम्बर 729 दिनांक 12.06.2019 दर्ज व तस्दीक किया है, जो काबिल निरस्तनीय है।

3. मातहत अदालत ने इस तथ्य की तरफ ध्यान नही दिया कि वादग्रस्त भूमि शानमोहम्मद की पैतृक सम्पति थी तथा उसको लेकर उसके जायज वारिसान में दावा, अपील जेरकार है तथा नामान्तरण संख्या 729 दिनांक 12.06.2019 दर्ज व तस्दीक करने की कार्यवाही के समय सम्भागीय आयुक्त बीकानेर में अपील जेरकार थी तथा उसमें स्थगन आदेश प्रभावी था तथा उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ में अपील जेरकार थी तथा उक्त अपील में स्थगन आदेश प्रभावी था, फिर भी मातहत अदालत ने [illegible] मुस्लिम प्रावधान के खिलाफ बनी नियम विरूद्ध वसीयत के आधार पर कानून के मूलभूत सिद्धान्तों के खिलाफ जाते हुए इन्तकाल नम्बर 729 दिनांक 12.06.2019 दर्ज व तस्दीक किया है, जो काबिल अपास्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.01.23 16:12:49 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

4. वसीयत कतई गलत तरीके से तैयार की गई है तथा वसीयत मुस्लिम विधि के मान्य सिद्धान्तों के खिलाफ है तथा वसीयतकर्ता वसीयत के समय स्वच्छचित का नही था, तथा वह पागल व्यक्ति था तथा उसको सोचने व समझने की शक्ति नही थी तथा उसका पागल घोषित करवाने की कार्यवाही सिविल कोर्ट में चल रही थी, उसी समय वह फौत हो गया तथा ना ही वसीयतकर्ता के समस्त वारिसान उक्त वसीयत से सहमत थे तथा ना ही नियमानुसार हो सकती थी, फिर भी मातहत अदालत ने वसीयत के आधार पर नामान्तरण संख्या 729 दिनांक 12.06.2019 दर्ज व तस्दीक करने की कार्यवाही करने में कानूनी भूल की है।

5. उक्त दर्ज व तस्दीक इन्तकाल नम्बर 729 दिनांक 12.06.2019 बअदालत मातहत कानुन के मुताबिक की गई कार्यवाही की परिभाषा नही आती है तथा ना ही मातहत अदालत ने अपना न्यायिक स्वविवेक काम में लिया है तथा नामान्तरण कार्यवाही इसी आधार पर काबिल खारिजी है।

6. अपील अपीलांट न्यायालय के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार है तथा 2/–रूपये की कोर्ट फीस पर पेश व ज्ञान से अन्दर मियाद है तथा देरी को माफ करवाने के लिए अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ईन्तकाल नंबर 729 दिनांक 12.06.2019 बअदालत मातहत अपास्त फरमायें जावें।

अपील प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या–01 की ओर से श्री सुबोध शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या–02 एंव अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर से अपीलाधीन नामान्तरण की मूल प्रति तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट श्री विजयसिंह कड़वासरा द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। लिखित बहस अपीलान्ट की तरफ से निम्न प्रकार से है कि – अपीलान्ट की तरफ से यह अपील बखिलाफ इन्तकाल नम्बर 729 दिनांक 12.06.2019 बअदालत तहसीलदार राजस्व नोहर के द्वारा दर्ज व तस्दीक नियम विरूद्व होने की वजह से खारीज करवाने बाबत यह अपील प्रस्तुत की है तथा अपील के सूक्षम रूप से तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 मुस्लिम है तथा मुस्लिम विधि [illegible] चले आ रहे है तथा मुस्लिम विधि में 1/3 हिस्सा ज्यादा वसीयत नही की जा सकती है तथा ना ही नजदीकी वारिसान के वसीयत की जा सकती है तथा [illegible]यतकर्ता अब्दुल मजीद पुत्र शान मोहम्मद जाति अराई मुसलमान निवासी ढ़ाणी [illegible]ईयान तहसील नोहर के चक 28 एन.टी.आर. तहसील नोहर की 16.0280 हैक्टर भूमि में से 253–1/3 हिस्सा कृषि भूमि की वसीयत मुस्लिम प्रावधान के खिलाफ करवाई गई है तथा अब्दुल मजीद कुंवारा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.01.23 16:12:49 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

मन्दबुद्धि का व्यक्ति था तथा उसे सोचने समझने की शक्ति नही थी, तथा उसको पागल घोषित करने की कार्यवाही सिविल कोर्ट में चल रही थी तथा उसी दौरान अब्दुल मजीद का देहान्त हो गया तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 मन्जुर अली व उसके पिता अब्दुल शकुर ने वसीयतकर्ता की अक्षमता का फायदा उठाकर वसीयत मुस्लिम विधि के प्रावधान के खिलाफ जाते करवाये है, जिसकी मुस्लिम कानूनी में कोई अहमियत नही है तथा उक्त नामान्तरण कार्यवाही का अपीलान्ट व उसके अन्य बहनों को कोई सूचना व नोटिस नही दिया गया था तथा वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने की कार्यवाही में कोई कानूनी प्रक्रिया नही अपनाई गई तथा नही इस बात की जाँच की गई है कि उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बध में इन्तकाल तस्दीक व दर्ज दिनांक 12.06.2019 इतकाल संख्या 729 की पूरी कार्यवाही के समय वादग्रस्त भूमि पर स्थगन आदेश जारी था तथा उक्त भूमि बाबत सम्भागीय आयुक्त बीकानेर में अपील जैरकार थी तथा उसमें स्थगन आदेश प्रभावी था तथा मातहत अदालत ने विधि विरूद्व तरीके से गलत नामान्तरण सं. 729 दिनांक 12.06.2019 विधिक मान्य सिद्धान्तो के खिलाफ है तथा नामान्तरण सं. 729 दिनांक 12.06.2009 बअदालत मातहत बखिलाफ कानूनी नियम वाक्यात एवं 6 रूहदाद मिसल है तथा नियम विरूद्व है तथा विधि का भयंकर अवहेलना में पारित की गई है तथा मातहत अदालत की नामान्तरण सं. 729 दिनांक 12.06.2019 दर्ज व तस्दीक करने कोई जाँच नही की गई है जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बध में सम्भागीय आयुक्त बीकानेर में अपील चल रही थी। तथा उसमें स्थगन आदेश प्रभावी था तथा इस तथ्य मातहत अदालत ने गौर नही किया है तथा कानूनी गलती की है तथा मातहत अदालत ने मुस्लिम प्रावधान की अनदेखी करने वसीयत के आधार नामान्तरण दर्ज किया है तथा वसीयत कर्ता है के जायज वारिसान की सहमति के अभाव नामान्तरण की कार्यवाही काबिल मन्सुखी है तथा वसीयतकर्ता मदबुद्धि व उसकी सोचने समझने की शक्ति नही थी इस सम्बध में सिविल कोर्ट में अपीलान्ट हुसना की तरफ से दावा चल रहा था तथा इसी दौरान वसीयतकर्ता अब्दुल मजीद का देहान्त हो गया मगर रेस्पोडेन्ट की तरफ से ऐसा हो कोई दस्तावेज व साक्ष्य सिविल कोर्ट में जवाब दावा प्रस्तुत करते हुऐ पेश नही किया था कि वसीयत कर्ता मदबुद्धि पागल नही था इससे अदालत यह कयास लगाई की वसीयतकर्ता मंदबुद्धि व सोचने व समझने की शक्ति नही थी तथा यह एक महत्वपूर्ण शर्त की वसीयतकर्ता को यह ज्ञान होना चाहिए की वह क्या वसीयत कर रहा है, वह उस वसीयत में क्या लिखा जा रहा है तथा उक्त वसीयत प्रारम्भिक रूप से ही शुन्य थी तथा कानूनी की नजर में उसकी कोई अहमियत नही थी, फिर भी मातहत अदालत नामान्तरण तस्दीक करने की कार्यवाही में कानूनी गलती की है तथा उक्त दर्ज व तस्दीक इन्तकाल सं. 729 दिनांक 12.06.2019 बअदालत मातहत कानून के मुताबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.01.23 16:12:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

की गई कार्यवाही की परिभाषा में नही आती है। तथा ना ही मातहत अदालत ने अपना न्यायिक स्वविवेक काम में लिया है तथा नामान्तरण कार्यवाही इसी आधार पर काबिल खारिजी के है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इन्तकाल सं. 729 दिनांक 12.06.2019 बअदालत मातहत अपास्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता श्री सुबोधशर्मा एडवोकेट रेसपोडेन्ट संख्या–01 की बहस सुनी गई। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–01 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि न्यायालय गुणावगुण के आधार पर अपील का निर्णय पारित करें।

अधिवक्तागण की बहस का अध्ययन/मनन किया गया एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तरण में दर्ज रकबा का शानमोहम्मद पुत्र खैरदीन साकिन ढाणी आराईयान के नाम से राजस्व दर्ज था। शानमोहम्मद के पश्चात विरासतन नामान्तरण उनके वारिसान के ब.हि.ब. दर्ज हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा नामान्तरण संख्या 729 दिनांक 12.06.2019 को वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज किया गया है। नामान्तरण संख्या 729 में दर्ज भूमि पर माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर में अपील संख्या 171/2016 अनवान हाकमअली बनाम जमीला में दिनांक 30.11.2016 को स्थगन आदेश पारित किया हुआ था, जो नामान्तरण संख्या 729 दिनांक 12.06.2019 को दर्ज करनें के दिन भी प्रभावी था। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेंर के स्थगन आदेश को नजरदांज करते हुये नामान्तरण संख्या 729 दर्ज किया गया, जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा नामान्तरण संख्या 729 दिनांक 12.06.2019 को दर्ज करनें त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 729 दिनांक 120.06.2019 को खारीज किया जाता है एंव पत्रावली इस निर्देश साथ तहसीलदार नोहर को प्रतिप्रेषित(Remand) की जाती है कि विवादित भूमि की जांच पड़ताल कर, वसीयत से संबधित समस्त पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्र[illegible] संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.01.23 16:12:49 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 13/12/24 को सरेइजलास सुनाया गया।

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)